शिक्षा ऋण योजना (एनएसएफडीसी/(एनएसटीएफडीसी) ।

निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के निर्धन परिवारों के मेधावी छात्रों/छात्राओं जो धन के अभाव से अपनी व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अध्ययन को जारी नहीं रख सकते हैं, उनके लिए शिक्षा ऋण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सौजन्य से अनुमोदित व्यवसायों में ऋण प्रदान करवाता है ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सके ।

योजना की मुख्य विशेषताएँ ।

क्र0सं0	विवरण	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(i)	ऋण सीमा अधिकतम	मु0 10.00 लाख रूपये	मु0 5.00 लाख रूपये
(ii)	ब्याज दर	4/ वार्षिक महिलाओं के लिए 0.5/की ब्याज में छूट	6/ वार्षिक
(iii)	ऋण अदायगी अवधि	मु0 7.50 लाख रूपये तक = 10 वर्ष मु0 7.50 लाख रूपये से अधिक 10.00 लाख रू0 तक = 15 वर्ष	5 वर्ष
(iv)	वित्तीय स्रोत	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के सौजन्य से सीधे तौर पर ।
(v)	पात्रता	1) परिवार की वार्षिक आय सीमा:-	
		क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 81,000/- रू0 98000/=	क) ग्रामीण क्षेत्र मु0 81,000/- रू0 98000/=
		ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,03,000/- रू0 120000/=	ख) शहरी क्षेत्र मु0 1,04,000/- रू0 120000/=
		2) आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए । 3) वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्ध रखता हो। 4) मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान का नियमित छात्र हों । 5) आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी नहीं होना चाहिए ।	